

उपखण्ड अधिकारी धौद
रामलाल v/s TDR SC
(01/2025) इजराय

14 $\frac{10}{25}$ पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा। डिडीदार
उप। पत्रावली वास्ते ई. रिपोर्ट डि
27 $\frac{11}{25}$ की पेश हो।

27 $\frac{11}{25}$ पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा। डिडीदार
उप। पत्रावली वास्ते ई. रिपोर्ट डि
17 $\frac{12}{25}$ का पेश हो।

17 $\frac{12}{25}$ पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा। डिडीदार
उप। प्रकरण इजराय में वकिल विनमक डिडी
की पालना के संबंध में तहसीलदार लीड
ग्रामीण के पत्रावली अ.अ. 125/4186 डि 17 $\frac{12}{25}$
के कडा पालना की आइट पालना रिपोर्ट
प्राप्त हो चुकी है। अतः हस्तगत इजराय में
भागों कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। से
हस्तगत पत्रावली की कार्यवाही को इसी स्तर
पर शीप की जाती है। पत्रावली केवल बुमाउ
के बाद तहसील वकिल रफ्तार हों।



उपखण्ड अधिकारी
धौद जिला-सीकर

